अनुदान संख्या 31 – राजस्व विभाग
GRANT No. 31 - DEPARTMENT OF REVENUE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	272159,60,00	272440,50,00	268877,80,14	-3562,69,86
पूरक	Supplementary	280,90,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2801,41,58
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		91,21,00	14,76	-91,06,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				78,86,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹356269.86 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹28090.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत था।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹356269.86 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹28090.00 lakhs obtained in February, 2021 and constituted 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services					
मू.	O.	43768.00		36181.00	32410.00	-3771.00
पु.	R.	-7587.00				
मुख्य शीर्ष "2047" अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services					
मू.	O.	56340.00				
पू.	S.	1.00		60312.32	56452.67	-3859.65
पु.	R.	3971.32				
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries					
मू.	O.	36821.00		25707.00	23233.31	-2473.69
पु.	R.	-11114.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	25488007.00		25183140.04	25183140.04	..
पु.	R.	-304866.96				
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	1585601.00				
पू.	S.	28089.00		1653154.00	1587606.94	-65547.06
पु.	R.	39464.00				

(I) ₹28.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – राजस्व विभाग" के अंतर्गत – ₹10861.71 लाख की बचत (₹28537.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, अधिवक्ताओं से कम दावे प्राप्त होने, मुकदमों की कम सुनवाई होने, किराए के परिसरों के किराए का भुगतान न किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत स्कीम के लिए कम दावे प्राप्त होने और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम का भुगतान देरी से किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम तथा एल्कलाइड उद्योग" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "गाजीपुर अफीम फैक्ट्री – अफीम की खरीद" – ₹1048.39 लाख की बचत (₹3142.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "नीमच अफीम फैक्ट्री – अफीम की खरीद" – ₹1191.21 लाख की बचत (₹6069.62 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा अफीम की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "गाजीपुर एल्कलाइड वर्क्स – अन्य व्यय" – ₹647.49 लाख की बचत (₹3900.28 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से कम अफीम लागत अंतरण के कारण हुई।

(घा) "नीमच अल्काइड वर्क्स" –

(क) "प्रबंधन" – ₹7017.23 लाख की बचत (₹9090.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, अधिवक्ताओं से कम बिल प्राप्त होने, कोडीन फोस्फेट का आयात कम किए जाने और आपूर्तियों एवं सामग्री, कार्यालय व्यय और

(I) Provision of ₹28.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Revenue" - saving of ₹10861.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28537.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less claims from counsels, less hearing of court cases, non-payment of rent for hired premises, receipt of less claims towards leave travel concession scheme and delay in payment of International Arbitration owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Ghazipur Opium Factory - Purchase of Opium" - saving of ₹1048.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3142.30 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of opium.

(B) "Neemuch Opium Factory - Purchase of Opium" - saving of ₹1191.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6069.62 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of opium by Central Bureau of Narcotics.

(C) "Ghazipur Alkaloid Works-Other Expenditure" - saving of ₹647.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.28 lakhs) was due to less opium cost transferred from Central Bureau of Narcotics.

(D) "Neemuch Alkaloid Works" -

(a) "Management" - saving of ₹7017.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9090.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less bills from counsels, import of less Codeine Phosphate

चिकित्सा उपचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

and requirement of less funds towards Supplies and Material, office expenses and medical treatment.

(ख) "अन्य व्यय" – ₹2353.63 लाख की बचत (₹4600.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण संयंत्र का संचालन एक ही शिफ्ट में किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure" - saving of ₹2353.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.25 lakhs) was due to operation of plant in single shift owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण" के अंतर्गत – ₹2680757.00 लाख की बचत (₹12744003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) Under Major Head "3601" - "Other Transfers/Grants to States - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund" - saving of ₹2680757.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12744003.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature" - savings occurred under the following heads:-

(का) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि को अंतरण" – ₹224346.00 लाख की बचत (₹792800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(A) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Goods and Service Tax Compensation Fund" - saving of ₹224346.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹792800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत बजट प्रभाग द्वारा उच्चतम सीमा निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to ceiling fixed by Budget Division.

(खा) "जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति" – ₹111947.06 लाख की बचत (₹792800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए कम राशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST-Compensation for revenue loss to Union Territory Governments with Legislature" - saving of ₹111947.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹792800.00 lakhs) was due to less release of GST compensation to Union Territories.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1333.09 लाख की बचतें हुई; जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00

(VI) Under three heads savings of ₹1333.09 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not

लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹376765.00 लाख) प्रयुक्ति हो गई; जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹28090.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2047" – "अन्य व्यय – राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान" – ₹954.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें को अन्य अंतरण/अनुदान – राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान – पिछले वर्ष के अविभाजित आईजीएसटी के संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से का अंतर" – ₹375811.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹310211.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – भारत का वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू – इंडिया)" – ₹522.90 लाख का अधिक व्यय (₹8036.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने तथा किराए के बकाए का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों की अन्य अंतरण/अनुदान" –

(क) "संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान – पिछले वर्ष के अविभाजित आईजीएसटी राज्यों के हिस्से का अंतरण" – ₹2101900.00 लाख का अधिक व्यय ('शून्य' प्रावधान की तुलना में) राज्यों को गत वर्ष के अविभाजित आईजीएसटी के अंतरण के कारण हुआ।

(ख) "जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति" – राज्यों को राजस्व हानि की

exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 15 percent to 25 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹376765.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹28090.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2047" - "Other Expenditure - Grants to National Institute of Public Finance and Policy" - ₹954.00 lakhs.

(B) Major Head "3602" - "Other Transfer/ Grants to Union Territory Governments with Legislature - Grants to meet Revenue Deficit - Transfer of UTs portion of unapportioned IGST of previous years" - ₹375811.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹310211.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND)" - excess of ₹522.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8036.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and payment of arrears of rent owing to revision.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfers/ Grants to States" -

(a) "Grants to cover gap in Resources - Transfer of States portion of unapportioned IGST of previous years" - excess of ₹2101900.00 years (against 'nil' provision) was due to transfer of un-apportioned IGST of previous years to the States.

(b) "Compensation for loss of revenue arising out of implementation of GST -

प्रतिपूर्ति ₹273991.04 लाख का अधिक व्यय (₹12744003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि जारी किए जाने के कारण हुआ।

Compensation for revenue loss to States" - excess of ₹273991.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12744003.00 lakhs) was due to release of GST compensation to States.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	8100.00	600.00	..	-600.00
पु.	R.	-7500.00			

(I) ₹8479.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा। जिसमें से मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत – "अन्य भवन – निर्माण – राजस्व भवन का निर्माण" – प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा के कारण आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भूमि वापस लेने के कारण ₹8100.00 लाख का लेखाकरण किया गया।

(I) Provision of ₹8479.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹8100.00 lakhs accounted for under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Construction of Rajswa Bhavan" - due to withdrawal of land by Ministry of Housing and Urban Affairs owing to proposed Central Vista.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹608.36 लाख के बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थीं।

(II) Under two heads savings of ₹608.36 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and both constituting 98 percent of the sanctioned provision.

5. ***मूल्यह्रास आरक्षित निधि – अफीम और एल्केलाइड फैक्टरियां:–***

5. ***Depreciation Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-***

ये निधियां 1970–71 में एल्केलाइड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाने की वाणिज्यक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थीं। वर्ष के दौरान

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories.

प्रत्येक फैक्टरी की परिसंपत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्यह्रास इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है। निधि के शेषों पर समय–समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिरक्षी नामे द्वारा जमा किया जाता है।

Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

वर्ष 2020–21 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा निम्न प्रकार था:–

The Account of Depreciation Reserve Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

		गाजीपुर Ghazipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	**एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works**	**अफीम फैक्टरी Opium Factory**	**एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works**
अथशेष	Opening Balance	12,46,60	15,10,34	10,44,79	28,28,94
प्राप्तियां	Receipts	13,50	34,00	50,00	45,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	35,79	48,88	36,67	98,26
अदायगियां	Payments	..	..	..	..
अंतशेष	**Closing Balances**	**12,95,89**	**15,93,22**	**11,31,46**	**29,72,20**

6. *राष्ट्रीय दवा दुरूप्रयोग नियंत्रण राष्ट्रीय निधि:–*

6. *National Fund for Control of Drug Abuse:-*

राष्ट्रीय नशीली दवा दुरूप्रयोग नियंत्रण निधि की स्थापना "नशीली दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम" 1985 जो 24 मार्च, 2006 को अधिनियमित हुआ के अंतर्गत हुई थी। निधि की स्थापना भारत के लोक लेखा में सरकार/स्वयंसेवी/अन्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों में अवैध लेनदेन का मुकाबला करने, जागरूकता पैदा करने, पहचान, परामर्श देने, नशे के आदी का उपचार और पुनर्वास सहित विभिन्न तरह से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई थी।

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act", 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government/ Voluntary /other organizations and institutions.

केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (संसद द्वारा विधिवित विनियोग पूरा करने के पश्चात), अधिनियम के अध्याय–Vक

The amount received for Central Government (after due appropriation met by

के अंतर्गत जब्त किसी संपत्ति की बिक्री आय, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया अनुदान तथा निधि में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय तथा अधिनियम के खंड 7 के में समाविष्ट उद्देश्यों के लिए निधि से प्रयुक्त होती है।

Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter-V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilized from the fund for the purposes contained in section 7 A of the Act.

वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय नशीली दवा दुरूपयोग नियंत्रक निधि के लेखे निम्नानुसार थे:–

The Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2020-21 was as follows :-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	30,23,95
प्राप्तियां	Receipts	1,83,52
अदायगियां	Disbursements	48,90
अंतशेष	Closing Balance	31,58,57